



केन्द्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) भोपाल

रसायन और पेट्रोसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भारत सरकार)

जी-सेक्टर, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र परिया, जे.के. रोड, भोपाल - 462023 (म.प्र.)

फोन नंबर 0755 - 4028616, 639, 613, 602;

ई-मेल : admin_bhopal@cipet.gov.in; वेबसाइट: www.cipet.gov.in

विज्ञापन संख्या: CIPET/BPL/ADMIN/CIPET_Contr./16

दिनांक : 16.09.2023

विज्ञापन भोपाल

व्याख्याताओं की सिपेट भोपाल में अनुबंध पर सीमित या निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति हेतु

सिपेट जिसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) के नाम से जाना जाता था) पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, मोल्ड प्रौद्योगिकी, कंड/कैम मोल्ड डिजाइन, प्लास्टिक प्रसंस्करण और परीक्षण के क्षेत्र में AICTE द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

सिपेट: सीएसटीएस, भोपाल शैक्षणिक और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर निम्नानुसार परिणामोन्मुख सक्रिय व्याख्याताओं की नियुक्ति करना चाहता है:-

क्र. सं.	पद	प्रति माह देय परिश्रमिक	पदों की संख्या
1.	व्याख्याता (यांत्रिक)	रु. 30000/- से रु. 35000/-	01
2.	व्याख्याता (रसायन विज्ञान)	रु. 30000/- से रु. 35000/-	01
3.	व्याख्याता (गणित)	रु. 30000/- से रु. 35000/-	01
4.	व्याख्याता (प्लास्टिक / पॉलिमर)	रु. 30000/- से रु. 35000/-	01
5.	व्याख्याता (अंग्रेजी)	रु. 30000/- से रु. 35000/-	01

आवेदन हेतु पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें और आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट : www.cipet.gov.in पर जाएं।

आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक अनुलनकों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में प्रधान निदेशक एवं प्रमुख, सिपेट: सीएसटीएस, जी-सेक्टर, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र जे.के. रोड, भोपाल - 462023 को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने चाहिए। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 07.10.2023 है। उम्मीदवार को लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या: CIPET/BPL/ADMIN/CIPET_Contr./16" और पद का नाम का उल्लेख करना चाहिए।

प्रधान निदेशक एवं प्रमुख